न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—244 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 / 53 आरटीए

1 गुरमीत सिंह पुत्र प्रताप सिह जाति जटसिख सा नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

— वादी

बनाम

1. प्रताप सिह पुत्र निधान सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह संगरिया
2. रूपिन्द्र कौर पत्नी हरविन्द्र सिह पुत्री प्रताप सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सुखप्रीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिह पुत्री प्रताप सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4. नवनीत कौर पत्नी विक्रमजीत सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा नुकेरा तह संगरिया
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—
1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू — वकील वादीगण
2— श्री चरणजी सिह सिद्धू— वकील प्रति सं. 1 ता 4

निर्णय दिनांक :— 18.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार वही है जो दावा र्शीषक मे दर्ज है। प्रति स 1 वादी का पिता है। प्रतिस. 1 प्रताप सिह के नाम चक 5 पी.टी.पी. खाता स. 98 / 43 खाता प्रताप सिह ज.स.2070—73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है । कुल आराजी का विवरण निम्न प्रकार से हैः— चक 5 पी.टी.पी. खाता स. 98 / 43 ज.स. 2070—73 मे दर्ज कुल 2.776 है0 आराजी दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो हमारी जद्दी जायदाद है। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादी तथा प्रति स. 1 ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादी निम्नानुसार खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार हैः—

वादी गुरमीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह का हिस्साः—

चक 5 पी.टी.पी. खाता स. 98 / 43

137 / 133 40 11—12—13—17—18—19—20 / 0.253प्र.

कुल = 1.771 है0

वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादी को दावा की दफा 3 के मुताबिक खातेदार होना मान वादी का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम करवा लेवें। इसपर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश। प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व एकपीक्षय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी गुरमीत सिह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 5 पीटीपी की जमाबन्दी खाता संख्या 9/11 निधान सिह पुत्र वरयाम सिह सम्वत 2016 की प्रमाणित प्रति पेश गई जो शामिल पत्रावली है। साथ ही वादी द्वारा वारिसान तस्दीक हेतु अपना शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 5 पीटीपी के खाता संख्या 98/43 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 2.776 है. दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 5 पीटीपी की जमाबन्दी खाता संख्या 9/11 निधान सिह पुत्र वरयाम सिह सम्वत 2016 की प्रमाणित चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 नाम से चक 5 पीटीपी के खाता संख्या 98/43 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 2.776

है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक 5 पीटीपी की जमाबन्दी खाता संख्या 9/11 निधान सिह पुत्र वरयाम सिह सम्वत 2016 की चित्रप्रति पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वादी को चक 5 पी.टी. पी. खाता स. 98/43 पं.नं. 137/133 मु.नं. 40 किला नं. 11–12–13–17–18–19–20/0.253 है. प्र.कुल = 1.771 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार ही हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 244/2019

1 गुरमीत सिंह पुत्र प्रताप सिह जाति जटसिख सा नुकेरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 प्रताप सिह पुत्र निधान सिह जाति जटसिख सा. नुकेरा तह संगरिया
2 रूपिन्द्र कौर पत्नी हरविन्द्र सिह पुत्री प्रताप सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 सुखप्रीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिह पुत्री प्रताप सिह जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 नवनीत कौर पत्नी विक्रमजीत सिह जाति जटसिख सा. सन्तपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
5 शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा नुकेरा तह संगरिया
6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री चरणजीत सिह सिद्धू वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी को चक 5 पी.टी.पी. खाता स. 98/43 पं.नं. 137/133 मु.नं. 40 किला नं.11–12–13–17–18–19–20/0.253 है. प्र.कुल = 1.771 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार खाता अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.09.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.22 14:23:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: